रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 1975/आषाढ़ 19, 1897
No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 1975/ASADHA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

ORDER

New Delhi, the 10th July 1975

SO. 346(E).—Whereas the Central Government issued order F. No. 673/93/75-Cus.VIII, dated the 1st July, 1975 under Section 3(1) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (as amended) directing that Shri Champalal Punjaji Shah son of Punjaji Genaji, residing at Flat No. 29, Shakti Sadan, Falkland Road, Bombay-8, be detained and kept in custody in the Thana Central Jail, Thana, with a view to preventing him from smuggling goods and abetting the smuggling of goods; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. The Central Government in exercise of powers under Section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Greater Bombay, within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[No. F. 673/93/75-Cus. VIII]
C. T. A. PILLAI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1975

का० आ० 346 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा 3(1) के अधीन एक आदेश एफ० सं० 673/93/सीमा शुल्क VIII तारीख 1 जुलाई, 1975, जारी किया था जिसमें श्री चम्पालाल पुंजाजी शाह, सुपुत्र पुंजाजी गेनाजी, निवासी फ्लैट संख्या 29, शक्ति सदन, काकलैंड रोड, मुम्बई-8 को माल की तस्करी करने के और माल की तस्करी का दुष्प्रेरण करने से रोकने की दृष्टि से थाना सैन्ट्रल जेल, थाना में निरुद्ध करने और अभिरक्षा में रखने का निदेश दिया था ; और

2. चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है ;

3. अतः, केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश करती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बृहत्तर मुम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[सं० फा० 673/93/75-सीमा शुल्क VIII]

सी० टी० ए० पिल्ले, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975